...पुलिस के हत्थे चढ़े

इंदौर। बाणगंगा पुलिस ने कुशवाह नगर चौराहे से विवेक पाल निवासी उमरिया राऊ को गिरफ्तार किया। बाणगंगा इलाके से हुकमचंद वर्मा को छुरा लेकर घूमते हुए पकड़ा। रंगवासा राऊ पर चाकू लेकर घूम रहे गोलू उर्फ करण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रावजी बाजार पुलिस ने काली मस्जिद के पास छुरा लेकर घूमते हुए एक बदमाश को पकड़ा। इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर से ईश्वरसिंह को फालिया लेकर घूमते हुए पकड़ा। टावर चौराहे पर मनप्रित सिंह गंडासे के साथ गिरफ्तार किया। चंदननगर पुलिस ने मारुति पैलेस से जावेद पिता शहाबुद्दीन को तलवार के साथ पकड़ा। उधर, खजराना स्थित मयूर अस्पताल के पास से पुलिस ने मोहम्मद साबिर खान निवासी राजीवनगर को छुरी लेकर घूमते हुए पकड़ा। एमआर-10 से पुलिस ने चेतन कामले निवासी सुखलिया को चाकू लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया।

इंदौर। अन्नपूर्णा थानांतर्गत गोपुर चौराहे से गुजर रही एक लड़की का हाथ पकड़कर आरोपी नमन पिता प्रकाश ने छेड़छाड़ करते हुए उस पर शादी के लिए दबाव बनाया। मूसाखेड़ी भील कालोनी में एक लड़की के साथ आरोपी ने अश्लील हरकत की। लड़की के शोर मचाने पर भाग खड़ा हुआ। आरोपी का नाम दादू उर्फस आकाश पिता महेश है जिसके खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया।

... विशाल ... के जन्मदिन का पोस्टर लगाया, जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया। इसी तरह सांवेर रोड पर अमन सोलंकी, हिमांशु मालवीय और दिनेश ने बिना अनुमति के बैनर लगाया, जिन पर केस दर्ज किया गया। वहीं कनाड़िया विद्युत ग्रिड के पास बिजली के खंभे पर दवाइयों का पोस्टर लगाने के मामले में आशीर्वाद मेडिकोज पर केस दर्ज किया।

उधर, विजयनगर थानांतर्गत अंशुल चौराहे पर बगैर अनुमति के पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश की जार ही है। इसी प्रकार लोधी मोहल्ला में बिजली ... के खिलाफ बिना अनुमति के स्ट्रीट लाइट पर होर्डिंग लगाने का केस दर्ज किया।

मोतीतबेला स्थित सरकारी कालेज की दीवार पर कोचिंग क्लास का पर्चा चिपकाने के मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। तेजाजी नगर पालदा स्थित स्वूसल की दीवार पर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का पोस्टर लगाने के मामले में केस दर्ज किया गया। सदर बाजार मेन रोड पर श्रीराम सेन्टेनियल स्वूसल संचालक पर बिना अनुमति फ्लेक्स लगाने पर केस दर्ज किय, जबकि दशहरा मैदान सार्वजनिक शौचालय की दीवार पर बिना अनुमति के पेम्पलेट्स ...

... मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार द्वारकापुरी में रहने वाले राहुल पिता प्रेमनारायण (26) ने शनिवार देर रात हाथ की नस काटकर अपनी जान दे दी। पुलिस के अनुसार राहुल की मां निशा लश्करी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करती है। करीब एक साल से उनके खाते से रुपए निकल रहे थे। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस के अनुसार रात खुलने के डर से राहुल ने आत्महत्या कर ली। युवक के आत्महत्या करने के बाद उसकी मां और परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।

भारतीय संस्कृति और मर्यादा का आदर्श प्रतिबिंब है विवाह

हंसदास मठ पर तर्पण में शामिल हुए 500 से अधिक साधक, भागवत में हुआ रूक्मणी विवाह

इंदौर। बच्चों की पहली गुरू मां ही होती है। मां से मिले संस्कार ही जीवन को संवारते हैं। भारतीय नारी जहां जाती है, वह जगह स्वर्ग बन जाती है। अब तो बेटियों का युग आ गया है। विवाह भारतीय संस्कृति और मयार्दा का आदर्श प्रतिबिंब है। रूक्मणी विवाह नारी के मंगल का सूचक है। ये प्रेरक विचार हैं आंचार्य पं. पवन तिवारी के, जो उन्होंने बड़ा गणपति चौराहा, पीलियाखाल स्थित हंसदास मठ पर हंसपीठाधीश्वर महंतश्री रामचरणदास महाराज के सानिध्य एवं परशुराम महासभा के पं. पवन शर्मा के विशेष आतिथ्य में चल रही पितृमोक्षदायी भागवत में व्यक्त किए। कथा में आज कृष्ण-रूक्मणी विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया गया।

इसके पूर्व सुबह तर्पण अनुष्ठान में 500 से अधिक साधकों ने अपने दिवंगत परिजनों के लिए तर्पण क्रिया की। तर्पण की आरती में वृंदावन के भागवताचार्य विपिन बापू आदि ने भाग लिया। यहां प्रतिदिन देश के स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद जवानों, होलकर राज्य के शासकों एवं गौमाता के लिए भी तर्पण किया जा रहा है। सुबह 8 से 10 बजे तक तर्पण एवं दोपहर 2 से 5 बजे तक पितृमोक्षदायी भागवत हो रही है। भागवत कथा में सोमवार को पूर्णाहुति होगी।

कल सर्वपितृ अमावस्या पर विशेष प्रबंध

तर्पण अनुष्ठान में 9 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के उपलक्ष्य में तर्पण के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। जिन लोगों को अपने दिवंगत परिजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है अथवा जो किसी कारण से पूर्व तिथि पर तर्पण नहीं कर सकें हैं, वे मंगलवार 9 अक्टूबर को सुबह 7.30 बजे हंसदास मठ पहुंच जाएं जहां तर्पण की सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क की गई हैं।

GORANI INDUSTRIES LIMITED
Regd. Off.: 32-33, Sector-F, Sanwer Road, Indore MP 452015
CIN: L28121MP1995PLC009170

NOTICE

NOTICE in pursuance to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is hereby given to the members for Forfeiture of 5,62,900 Partly Paid-up Equity Shares of face value of Rs. 10/- each due to non-payment of allotment money of Rs. 5/- per share (as reduced by excess application money, if any) along with interest due thereon. The individual notice will be dispatched on or before 10th October, 2018 by post and the copy of the said notice shall be available on Company's website at www.goraniinsdustries.com and also on Stock exchange's website at www.bseindia.com.

For Gorani Industries Limited
Anil Gorani
(Holding DIN: 00055540)
(Whole-Time Director)

Place: Indore
Date: 05.10.2018